



झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

29 श्रावण, 1946 (श०)

संख्या - 540 राँची, मंगलवार,

20 अगस्त, 2024 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

26 जुलाई, 2024

संख्या-5/आरोप-1-19/2017-26457 (HRMS)--श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, कोटि क्रमांक-320/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-630 दिनांक 02.03.2017 के माध्यम से उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-1412/मनरेगा, दिनांक 15.12.2016 द्वारा आरोप पत्र गठित कर उपलब्ध कराया गया है, जिसमें इनके विरुद्ध मझिआँव प्रखंड अंतर्गत पंचायत सोनपुरवा में मनरेगा के तहत क्रियान्वित तीन योजनाओं में प्राक्कलित राशि के विरुद्ध अधिक राशि का भुगतान करने, मनरेगा श्रमिकों का डाकघर में अवस्थित खाता को बंद करते हुए बैंक में खाता खुलवाने में शिथिलता बरतने, मझिआँव प्रखंड अंतर्गत ग्राम पंचायत सोनपुरवा में मनरेगा के तहत तीन फर्जी योजनाओं में फर्जी तरीके से राशि की निकासी करने एवं अपूर्ण इंदिरा आवास योजना का कार्य पूर्ण कराने में शिथिलता एवं उदासीनता बरतने संबंधी कुल-5 आरोप प्रतिवेदित किया गया ।

उक्त आरोपों पर विहित प्रक्रिया अपनाते हुए विभागीय संकल्प सं०-420, दिनांक 21.01.2020 द्वारा श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित की गई। संचालन पदाधिकारी के पत्रांक-389, दिनांक 16.09.2021 द्वारा जाँच प्रतिवेदन समर्पित किया गया, जिसमें आरोपी पदाधिकारी के विरुद्ध एक भी आरोप को प्रमाणित प्रतिवेदित नहीं किया गया।

विभागीय जाँच पदाधिकारी के प्रतिवेदन पर, ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक-1640, दिनांक-12.04.2023 के माध्यम से उपायुक्त, गढ़वा के पत्रांक-505/स्था०, दिनांक 21.10.2022 द्वारा पूर्व में श्री गुप्ता के विरुद्ध संचालित विभागीय कार्यवाही में प्राप्त स्पष्टीकरण पर उपलब्ध कराये गये मंतव्य की प्रति संलग्न कर उपलब्ध करायी गयी। उपायुक्त, गढ़वा द्वारा प्रतिवेदित किया गया कि पूर्व में गठित मंतव्य से इतर कोई अलग मंतव्य नहीं है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन के समीक्षोपरांत श्री गुप्ता के विरुद्ध झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(iv) के तहत असंचयात्मक प्रभाव से दो वेतनवृद्धि पर रोक का दण्ड प्रस्तावित करते हुए विभागीय पत्रांक-4192, दिनांक 24.07.2023 द्वारा उनसे द्वितीय कारण पृच्छा की माँग की गयी। श्री गुप्ता के पत्र, दिनांक 09.01.2024 द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा का जवाब समर्पित किया गया है।

श्री गुप्ता के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोप, विभागीय कार्यवाही के दौरान इनके द्वारा समर्पित बचाव बयान, विभागीय जाँच पदाधिकारी का मंतव्य एवं ग्रामीण विकास विभाग से प्राप्त प्रतिवेदन एवं उनसे प्राप्त द्वितीय कारण पृच्छा के समीक्षोपरांत श्री गुप्ता के विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-21177, दिनांक 23.02.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत निन्दन का दण्ड अधिरोपित किया गया।

उक्त अधिरोपित दण्ड के विरुद्ध श्री गुप्ता के पत्र, दिनांक 20.05.2024 द्वारा अपील आवेदन समर्पित किया गया। श्री गुप्ता द्वारा समर्पित अपील आवेदन की समीक्षा की गई। समीक्षा में पाया गया कि उनके द्वारा समर्पित अपील आवेदन में उन्हीं तथ्यों को रखा गया है, जो उनके द्वारा द्वितीय कारण पृच्छा में समर्पित किया गया था। उनके द्वारा कोई नया तथ्य या साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया, जिस पर विचार किया जाय।

अतः समीक्षोपरांत, श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से०, तत्कालीन प्रखण्ड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकार करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-21177, दिनांक 23.02.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत अधिरोपित निन्दन के दण्ड को यथावत् रखा जाता है।

आदेश:- आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को झारखण्ड राजपत्र के आसाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी एक प्रति श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से० एवं अन्य संबंधित को दी जाय ।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	NITIN SHIVAM GUPTA 111003181689	श्री नितीन शिवम गुप्ता, झा०प्र०से० (चतुर्थ बैच, कोटि क्रमांक-320/20), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, मझिआँव, गढ़वा द्वारा समर्पित अपील आवेदन को अस्वीकृत करते हुए उनके विरुद्ध विभागीय संकल्प सं०-21177, दिनांक 23.02.2024 द्वारा झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-14(i) के तहत अधिरोपित निन्दन के दण्ड को यथावत् रखा जाता है ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

चिन्टु दोराईबुरु,

सरकार के संयुक्त सचिव ।

जीपीएफ संख्या:20060400057
